(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–**III**, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 54 **नई दिल्ली**, 13 अप्रैल, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, कोलकाता पत्तन न्यास में मौजूदा दरमानों की वैधता को 31 मार्च, 2009 के बाद के लिए विस्तारित करता है।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/45/2005–केओपीटी

कोलकाता पत्तन न्यास ———— आवेदक

आदेश

(मार्च, 2009 के 27वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) से उसके दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करते हुए 29 दिसम्बर, 2006 को एक आदेश पारित किया था। यह आदेश राजपत्र सं. 34 द्वारा 6 फरवरी 2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। संशोधित दरमान आदेश की अधिसूचना से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात 8 मार्च, 2007 से प्रभावी हुए जिसकी वैधता अवधि 31 मार्च 2009 तक है।

2.1. मार्च, 2005 के दिशा–निर्देशों का खंड 3.1.2 महापत्तनों से अपेक्षा करता है कि वे मौजूदा प्रशुल्क की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव उसकी वैधता की समाप्ति के कम से कम 3 महीने पहले अग्रेषित किया जाए।

2.2. महापत्तन न्यासों और वहां पर प्रचालन करने वाले निजी टर्मिनलों की प्रशुल्क निर्धारण प्रक्रिया में अनुसरित मौजूदा दृष्टिकोण/पद्धति के कुछ क्षेत्रों के परिशोधन को अधिसूचित करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30 सितम्बर 2008 के अनुच्छेद 5 (i) (ख) में विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रशुल्क की वैधता के विस्तारण के अनुरोध पर तब तक कार्यवाही न की जाए जब तक कि प्रशुल्क प्रस्ताव समय पर दाखिल नहीं किए जाने के लिए पर्याप्त उपयुक्त कारण नहीं दिए जाते हैं। आपवादिक मामलों में भी जहां ऐसे अनुरोधों पर इस प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है, मौजूदा दरों में तदर्थ कटौती किसी भी स्थिति में 3 महीनों से अधिक अवधि के लिए विस्तारित नहीं की जाएगी। विस्तारण इस शर्त के भी अधीन होगा कि विस्तारित अवधि के दौरान प्रोद्भूत अतिरिक्त अधिशेष, यदि कोई हो, अगले प्रशुल्क संशोधन में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

3.1. जब इस संबंध में अनुस्मरण करवाया गया चूंकि केओपीटी ने अपने दरमान की समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव विनिर्दिष्ट अवधि तक दाखिल नहीं किया था, केओपीटी ने अपने पत्र दिनांक 5 फरवरी 2009 द्वारा उसके प्रस्ताव के निरूपण में उसके सामने आई कठिनाईयों को स्पष्ट करते हुए प्रतिसाद दिया था। केओपीटी द्वारा कही गई मुख्य बातों को नीचे सारबद्ध किया गया है:

(i). केओपीटी अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव इस प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही में पहले से लगा हुआ है। तथापि, यह जरूरी महसूस किया गया कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण मुख्यतः वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए कार्गो थ्रुपुट के अनुमान और राजस्व के अनुमानन की समीक्षा की जाए।

अक्तूबर 2008 से दिसम्बर 2008 (सितम्बर 2008 में मंदी के शुरू होने के पश्चात) तीन महीनों की अवधि के लिए कार्गो थ्रुपुट की समीक्षा नकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाती है। तीन महीनों की उक्त अवधि के दौरान पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 1 मिलियन टन तक कार्गो थ्रपुट में कमी आई है। समान अवधि के लिए कंटेनर यातायात भी नकारात्मक बढ़ोतरी दर्शाता है।

(ii). कच्चा तेल यातायात केओपीटी के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत है। कच्चा तेल दिसम्बर, 2008 से पारादीप से पाइप लाइन के माध्यम से प्रहस्तित किया जा रहा है। पीओएल यातायात की मात्रा में संभावित कटौती का तत्काल अनुमान लगाना कठिन होगा।

(iii). पत्तन और गोदी कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों और पेंशन का संशोधन पहले से देय है और शीघ्र ही घोषित होने की संभावना है। इसके परिणामस्वरूप लागत में काफी वृद्धि होगी। अतः इससे प्रशुल्क पर मेटिरियल प्रभाव पड़ेगा।

(iv). केओपीटी इस प्राधिकरण के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले वर्ष 2008–09 के लिए अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना चाहेगा।

3.2. केओपीटी ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि दरमान के सामान्य संशोधन के लिए उसका प्रस्ताव 30 जून, 2009 तक दाखिल करने की अनुमति दी जाए और उसके मौजूदा दरमान की वैधता को मौजूदा दरों में बिना कोई कटौती किए 6 महीनों के लिए विस्तारित किया जाए।

4. इस स्थिति पर विचार करते हुए कि केओपीटी उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों से यातायात का अनुमान लगाने की मुश्किलों का सामना कर रहा है और केओपीटी द्वारा प्रतिवेदित स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि वह प्रशुल्क के सामान्य संशोधन के अपने प्रस्ताव को अंतिम रूप देने से पहले वर्ष 2008–09 के लिए पत्तन की वास्तविक वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना चाहता है, यह प्राधिकरण केओपीटी के मौजूदा दरमान की वैधता केओपीटी को इस निदेश के साथ 30 सितम्बर, 2009 तक विस्तारित करता है कि वह अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए अपना प्रस्ताव 30 जून, 2009 तक, जैसाकि उसके द्वारा सहमति दी गई है, दाखिल करेगा।

5. 1 अप्रैल 2009 के बाद की अवधि के लिए प्रोद्‌भूत होने वाली स्वीकार्य लागत और अनुमत प्रतिलाभ से अधिक अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा।

(अरविन्द कुमार)
सदस्य